



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 18, 2013/चैत्र 28, 1935

No. 78]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 2013/CHAITRA 28, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2013

सं. 02 (आर.ई. 2013) / 2009—2014

फा.सं. 01/94/180/395—विदेश व्यापार नीति/एएम13/पी सी—4.—विदेश व्यापार नीति, 2009—14 के पैराग्राफ 1.2 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा वार्षिक परिशिष्ट में शामिल किए जाने हेतु विदेश व्यापार नीति, 2009—2014 में निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित करती है। यह 18 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा।

(1) डीएफआईए को हस्तांतरणीय किए जाने के बाद पाटनरोधी शुल्क और सुरक्षोपाय शुल्क से छूट की अनुमति नहीं देने के लिए विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.2.6 (ग) के बाद एक नया उप—पैरा (घ) समाविष्ट किया जा रहा है। समाविष्ट किए जाने वाले नए उप—पैरे (घ) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—

"पाटनरोधी शुल्क और सुरक्षोपाय शुल्क से छूट केवल वास्तविक उपयोक्ता आधार पर अर्थात् 'हस्तांतरणीयता' के पृष्ठांकन से पहले उपलब्ध होगी।"

(2) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.1.3.1 के दूसरे वाक्य में "ऊर्जा" शब्द को हटा दिया गया है।

(3) निजी/पब्लिक बांडेड मालगोदाम के संबंध में दिनांक 31—01—2013 की अधिसूचना सं. 30 के द्वारा समाविष्ट विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क.16क में न्यूनतम 5 प्रतिशत मूल्य संवर्धन केवल डीटीए के लिए होगा, एसईजेड यूनिटों के लिए नहीं। तदनुसार, पैरा को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

"कटे हुए और पॉलिश किए हुए हीरों, कटे हुए और पॉलिश किए हुए रंगीन रत्नों, बिना कटे और बिना सेट किए हुए बहुमूल्य और अर्ध—बहुमूल्य रत्नों के आयात और पुनः निर्यात के लिए एसईजेड/डीटीए में निजी/पब्लिक बांडेड

मालगोदाम स्थापित किए जा सकते हैं जो डीटीए यूनिटों द्वारा न्यूनतम 5 प्रतिशत मूल्य संवर्धन के अधीन होगा।"

इस अधिसूचना का प्रभाव: हस्तांतरित डीएफआईए के विरुद्ध आयातित माल पर पाटनरोधी शुल्क और सुरक्षोपाय शुल्क लगाए जाएंगे। 'ऊर्जा' के आयात/आपूर्ति के लिए कोई अग्रिम प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं होगा। एसईजेड के संबंध में मूल्य संवर्धन (विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क.16क के लिए) एसईजेड अधिनियम के अनुसार होगा।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th April, 2013

No. 02 (RE-2013)/ 2009-2014

F. No. 01/94/180/395-Foreign Trade Policy/AM13/PC-4.—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.2 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby notifies the following amendments in the Foreign Trade Policy 2009-2014 to be incorporated in the Annual Supplement. This shall come into force w.e.f. 18th April, 2013.

(1) In Chapter 4 a new sub-para (d) after para 4.2.6(c) of FTP is being inserted to disallow exemption from Anti dumping duty and Safeguard duty once a DFIA is made transferable. The sub-para (d) to be inserted would read as under:—

“Exemption from Anti-dumping Duty and Safeguard Duty would be available on actual user basis only, i.e. before endorsement of ‘transferability’.”

(2) **The word “energy” in second sentence of para 4.1.3.1 of the FTP stands deleted.**

(3) In para 4A.16A of FTP inserted vide Notification No. 30 dated 31-01-2013 in respect of Private/Public Bonded Warehouse the minimum value addition of 5% shall be only for DTA units and not SEZ units. Accordingly, the para may be modified as under:

“ Private/Public Bonded Warehouses may be set up in SEZ/DTA for import and re-export of cut and Polished diamonds, cut and polished coloured gemstones, uncut and unset precious and semi-precious stones, subject to achievement of minimum VA of 5% by DTA units”.

Effects of this Notification: Anti-dumping duty and safeguard duty would be leviable on goods imported against transferred DFIA. Advance Authorisations will no more be available for import/supply of ‘energy’. Value Addition in respect of SEZ (in respect of para 4A.16A of FTP) would be as per SEZ Act.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade